



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjkh@jharkhandmail.gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0ब0 -20/2017-284 दिनांक : 27.02.2018

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा/गोड्डा वन प्रमंडल/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल/बोकारो वन प्रमंडल ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "मुख्यमंत्री जन वन योजना" योजना (निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत फलदार पौधों का वृक्षारोपण एवं काष्ठ प्रजाति का वृक्षारोपण का घेरान कार्य के साथ (ट्रेंच/झाड़ी) अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) हेतु **8.096 (आठ लाख नौ हजार छः सौ) रु0** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-48/2016-37/स्वी0 व0प0 दिनांक 30.11.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0 बजट-48/2016-81/आ0 व0प0 दिनांक 12.12.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 102 समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष- 55 मुख्यमंत्री जन वन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल **रु0 8.096 (आठ लाख नौ हजार छः सौ) रु0** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

क्र0 सं0	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	राशि (लाख में)
1	मजदूरी	19S240601102550103	3.358
2	आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102550323	4.738
कुल योग :-			8.096

2. इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य में वन अच्छादित क्षेत्र को बढ़ाने हेतु निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय के साधन में वृद्धि के साथ-साथ राज्य के अधिसूचित वनों पर दबाव कम करने के लिए "मुख्यमंत्री जन वन योजना" नामक एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों के अनुसार उचित स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति को उनके द्वारा स्वेच्छा से विभाग द्वारा

निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रजातियों का अपनी निजी भूमि पर (ब्लॉक वृक्षारोपण अथवा खेत की मेड़ पर रेखिक वनरोपण) वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया जाएगा। प्रोत्साहन-स्वरूप वृक्षारोपण एवं उसके रख-रखाव पर हुए व्यय के 50 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी।

3. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा सम्यक जाँचोंपरान्त द्वारा माह दिसम्बर में उसका सत्यापन करके जनवरी माह में उत्तरजीविता के आधार पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान प्रत्येक जिला के उत्तरजीविता का सत्यापन के अनुरूप राशि निकासी कर लाभुकों के खाते में हस्तान्तरित की जाएगी।

4. यदि प्रथम से द्वितीय वर्ष की किस्त के रूप में द्वितीय पक्ष को अतिरेक राशि का भुगतान हो गया होगा तो अंतिम किस्त की राशि भुगतान करते समय पूर्व में भुगतेय ऐसी राशि का समायोजन करने के पश्चात् ही अंतिम भुगतान किया जायेगा।

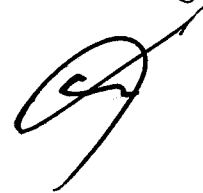
5. प्रमंडलवार उप-आवंटित की जा रही राशि का वित्तीय लक्ष्य **अनुलग्नक-1** पर तथा कार्य दर **अनुलग्न-2(क), 2(ख) एवं 2(ग)** पर द्रष्टव्य है, जिसके अनुसार लाभुकों को 50 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। ऑन लाईन उप-आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर संलग्न है।

6. वर्तमान में योजना के Website पर upload किये गये राशि में वृद्धि कर उप-आवंटन निर्गत किया जा रहा है, ताकि लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान में विलम्ब न हों। शेष भुगतान हेतु राशि का उप-आवंटन योजना के Website पर upload करने के पश्चात तथा पत्र के साथ संलग्न **प्रपत्र-4** के रूप में मांग प्रतिवेदन के पश्चात ही उप-आवंटन निर्गत किया जाएगा।

7. राशि की निकासी योजना के Website पर upload करने के पश्चात ही की जाएगी तथा इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र-4 में सप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन से अवगत कराना, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जाएगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया



जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

11. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जाएगा। लाभुकों का Pay -id बनाकर कोषागार में समर्पित किया जाएगा, ताकि लाभुकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे कोषागार से उनके खाता में हो सके।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में लाभुकों को जन वन योजना की निर्देशिका में निर्धारित देय प्रतिपूर्ति राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

13. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का भुगतान लाभुकों के बैंक खाते/डाक घर खाते में ही किया जाएगा।

15. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

16. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।



18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

19. यह राशि पूर्व में उप-आवंटित राशि के अतिरिक्त है।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सिमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204, दिनांक-20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-20/2017-284 दिनांक- 27.02.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/बोकारो/गिरिडीह एवं इनविस सेंटर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-20/2017-284 दिनांक- 27.02.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/सिमडेगा/कोडरमा/गोड्डा/गिरिडीह/बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जानेवाली मुख्यमंत्री जन वन योजना (अन्य व्यय) अन्तर्गत निजी भूमि पर काष्ठ एवं फलदार प्रजाति के पौधों (काष्ठ प्रजाति 445 एवं फलदार प्रजाति 160 पौधा प्रति एकड़ ट्रेंच घेरान के साथ) का वृक्षारोपण हेतु प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / वन प्रमंडल पदाधिकारी का नाम	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख में)		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग	0.874	1.225	2.099
3	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	0.983	1.378	2.361
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा	0.218	0.306	0.524
2	गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा	0.847	1.217	2.064
4	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	0.218	0.306	0.524
6	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	0.218	0.306	0.524
कुल योग :-		3.358	4.738	8.096

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना"(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

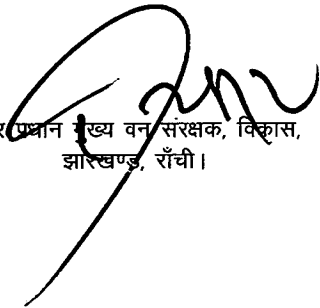
पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 160 पौधे (फलदार/ कलमी पौधे)

स्पेसिंग 5 मी. X 5 मी.

प्रजातियाँ:- कलमी आम, कटहल, अमरुद, आँवला, बेल, लीची आदि

कम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लामुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (50 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
क	वित्तीय वर्ष 2017-18 में (अग्रिम कार्य एवं समापन कार्य) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 229.90 रु० प्रति मानव दिवस							
1	मृदा कार्य : पौधा लगाने हेतु 2'x2'x2' आकार का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना @160 पौधे प्रति एकड़	एकड़	26.00	5977.40	0.00	5977.40	18.68	
2	पौधों का क्रय @60 रु० प्रति पौधा (परिवहन सहित) @160 पौधे प्रति एकड़ (5% अतिरिक्त पौधे का क्रय किया जाएगा)	एकड़	0.00	0.00	9600.00	9600.00	30.00	पौधे विभागीय स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे। लामुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 30.00 रु० प्रति पौधा या वास्तविक दर जो कम हो की दर से राशि देय होगी
3	वृक्षारोपण	एकड़	24	5517.60	0.00	5517.60	17.24	
4	दो कोड़नी एवं निकौनी	एकड़	4.00	919.60	0.00	919.60	2.87	
5	पौधों की सुरक्षा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लामुक की जिम्मेवारी होगी
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	5.00	
	योग		54.00	12414.60	11200.00	23614.60	73.80	
ख	वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 264.39 (वृद्धि 15 प्रतिशत)							
1	दो कोड़नी-निकौनी	एकड़	4.00	1057.56	0.00	1057.56	3.30	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/उरिया, जैविक किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	2.50	
3	पानी पटवन		0.00	0.00	1600.00	1600.00	5.00	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लामुक की जिम्मेवारी होगी
	योग		4.00	1057.56	2400.00	3457.56	10.80	

कम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लामुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (50 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
ग	वित्तीय वर्ष 2019-20 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 304.04 (वृद्धि 15 प्रतिशत)							
1	दो कोड़नी-निकौनी	एकड़	4.00	1216.16	0.00	1216.16	3.80	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	एकड़	0.00	0.00	800.00	800.00	2.50	
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	1600.00	1600.00	5.00	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लामुक की जिम्मेवारी होगी
5	घेरान मरम्मति @2.5 चेन प्रति एकड़	एकड़	3.0	2280.30	0.00	2280.30	7.13	
	योग		7.0	3496.46	2400.00	5896.46	18.43	
	सकल योग		65.0	16968.62	16000.00	32968.62	103.03	



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची।

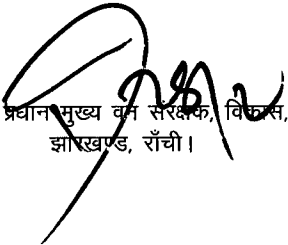
वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : "मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना"(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़ : 445 पौधे (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)
स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. एवं मेड के प्रजातियाँ-शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल, यूकोलिप्टस, एकासिया आदि
किनारे 2 मी० x 2 मी०

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लामुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (50 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
क	वित्तीय वर्ष 2017-18 में (अग्रिम कार्य एवं समापन कार्य) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 229.90 रु० प्रति मानव दिवस							
1	मुदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 445 पीट प्रति एकड़ (संरेखन सहित)	एकड़	10.00	2299.00	0.00	2299.00	2.58	
2	पौधों का क्रय @20 रु० प्रति पौधा (परिवहन सहित)	एकड़	0.00	0.00	8900.00	8900.00	10.00	पौधे विभागीय स्तर से उपलब्ध कराये जायेंगे। लामुक द्वारा पौधों की व्यवस्था स्वयं करने पर 10.00 रु० प्रति पौधा की दर से राशि देय होगी
3	वृक्षारोपण	एकड़	10.00	2299.00	0.00	2299.00	2.58	
4	दो कोड़नी एवं निकौनी	एकड़	11.00	2528.90	0.00	2528.90	2.84	
5	पौधों की सुरक्षा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लामुक की जिम्मेवारी होगी
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	700.00	700.00	0.79	
	योग		31.00	7126.90	9600.00	16726.90	18.79	
ख	वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्पोषण कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 264.39 (वृद्धि 15 प्रतिशत)							
1	एक कोड़नी-निकौनी	एकड़	6.00	1586.34	0.00	1586.34	1.78	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/उरिया, जैविक कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.39	
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	5.00	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लामुक की जिम्मेवारी होगी
	योग		6.00	1586.34	4800.45	6386.79	7.18	
ग	वित्तीय वर्ष 2019-20 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 304.04 (वृद्धि 15 प्रतिशत)							
1	एक कोड़नी-निकौनी	एकड़	6.00	1824.24	0.00	1824.24	2.05	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/यूरिया, जैविक खाद, कीटनाशक आदि)	एकड़	0.00	0.00	350.45	350.45	0.39	

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लामुको को प्रति पौधा देय प्रोत्साहन राशि (50 प्रतिशत)	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
3	पानी पटवन	एकड़	0.00	0.00	4450.00	4450.00	5.00	
4	पौधों की सुरक्षा	एकड़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	लामुक द्वारा की जायेगी।
5	घेरान मरम्माति @2.5 चेन प्रति एकड़	एकड़	3.00	2280.30	0.00	2280.30	2.56	
	योग		9.00	4104.54	4800.45	8904.99	10.01	
	सकल योग		46.00	12817.78	19200.90	32018.68	35.98	

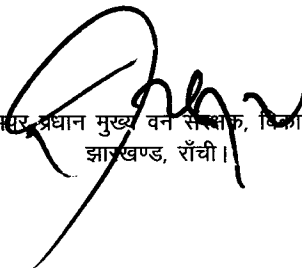

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : “मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना”(निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन की योजना)

पौधों की संख्या प्रति एकड़	445 पौधो (काष्ठ प्रजातियों का वनरोपण)
मजदूरी प्रति मानव दिवस (रु० में)	160 पौधे (फलदार प्रजातियों का वनरोपण)
फलदार प्राजाति हेतु स्पेसिंग 5मी० x 5मी०	229.90 प्रति मानव दिवस
काष्ठ प्राजाति हेतु स्पेसिंग 3मी० x 3मी० एवं मेड के किनारे 2 मी० x 2 मी०	फलदार प्रजातियाँ— कलमी आम, कटहल, अमरुद, आँवला, बेल, लीची, आदि
	काष्ठ प्रजातियाँ— शीसम, सागवान, गम्हार, महोगनी, क्लोनल, यूकोलिप्टस, एकासिया आदि

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	लामुकों को प्रति पौधा देय राशि	
							काष्ठ प्रजाति	फलदार प्रजाति
1	2	3	4	6	5	7		9
क	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)							
1	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम संख्या 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर) प्रति एकड़ अधिकतम 2.5 चेन	2.5 चेन प्रति एकड़	5.00	1149.50	4909.48	6058.98	6.81	18.93
2	झाड़ी घेरान (2.5 X 6 मानव दिवस) (प्रति एकड़ अधिकतम 2.5 चेन)	2.5 चेन प्रति एकड़	15.00	3448.50	62.50	3511.00	3.94	10.97
कुल :-			20.00	4598.00	4971.98	9569.98	10.75	29.91


अग्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-20/2017/284

दिनांक - 27-Feb-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	100652	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	87,400.00 रुपये सित्यासी हजार चार सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	100655	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	98,300.00 रुपये अठानवे हजार तीन सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	100657	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	21,800.00 रुपये इक्कीस हजार आठ सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			

207,500.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये दो लाख सात हजार पंच सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDL. SECRETARY (P&F) HAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	100658	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	84,700.00 रुपये चौरासी हजार सात सौ
5	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	100659	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	21,800.00 रुपये इक्कीस हजार आठ सौ
6	S 19 240601102550103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	100660	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	21,800.00 रुपये इक्कीस हजार आठ सौ

योग: 128,300.00

क्रमिक योग: रुपये तीन लाख पैंतीस हजार आठ सौ 335,800.00

(SHRI SATNAM SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	100663	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	122,500.00 रुपये एक लाख बाइस हजार पाँच सौ
8	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	100664	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	137,800.00 रुपये एक लाख सेतीस हजार आठ सौ
9	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA	100665	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	30,600.00 रुपये तीस हजार छः सौ

योग: 290,900.00

क्रमिक योग: रुपये छः लाख छब्बीस हजार सात सौ 626,700.00

(SHRI SATNAM SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	100666	GDDFOR164 RAM BHARAT DFO GODDA FOREST DIVISION	121,700.00 रुपये एक लाख इक्कीस हजार सात सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
11	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	100667	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR DIV.	30,600.00 रुपये तीस हजार छः सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			
12	S 19 240601102550323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 55 - मुख्यमंत्री जन-वन योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	100668	BKRFOR001 P.R. NAIDU D F O, BOKARO	30,600.00 रुपये तीस हजार छः सौ
	State Scheme : MUKHYAMANTRI JAN-VAN YOJNA(1275) Central Scheme : NA			

योग: 182,900.00

क्रमिक योग: रुपये आठ लाख नौ हजार छः सौ 809,600.00

(SHRI SATNAM SINGH)

मुख्यमंत्री जन वन योजना का सप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन।

वन प्रमंडल का नाम :-

क्र० सं०	लाभुकों की संख्या	रोपित पौधों की रकबा (एकड़ में)			रोपित पौधों की संख्या			लाभुकों को देय प्रोत्साहन राशि			किए गये घेरान कार्य अधिकतम @ 2.5 चेन प्रति एकड़		घेरान कार्य का देय प्रोत्साहन राशि	कुल भुगतान की गयी राशि
		काष्ठ प्रजाति	फलदार प्रजाति	कुल	काष्ठ प्रजाति	फलदार प्रजाति	कुल	काष्ठ प्रजाति	फलदार प्रजाति	कुल	ट्रेंच / झाड़ी घेरान कार्य	घेरान की लम्बाई चेन में		
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv	xv

प्रपत्र के अनुसार इकाईवार उप-आवंटन हेतु मांग की जा रही राशि

प्राथमिक इकाई राशि (लाख में)
मजदूरी
आपूर्ति एवं सामग्री
कुल

प्रमाणित किया जाता है कि उपर वर्णित लाभुकों का दावा मुख्य मंत्री जन वन योजना के Website पर upload किया गया है।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर